डाक-व्यय को पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
ब्रि.पु.पु. भोपाल-02-06

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 जनवरी 2006—पौष 12, शक 1927

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2006.

क्र. 157 विधान 2005.—मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) जो विधान सभा में दिनांक 2 जनवरी 2006 को पुर:स्थापित हुआ था, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २००५

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००५.

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २००५ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) की धारा ३ की उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द '२० पैसा' के स्थान पर, अंक तथा शब्द '१० पैसा' स्थापित किये जाएं. धारा ३ का संशोधन.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में औद्योगिक इकाइयों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चित किया गया है कि उपयोग या विक्रय के लिए, उनके द्वारा स्थापित कैप्टिव पॉवर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत् ऊर्जा पर प्रति यूनिट २० पैसे की विद्यमान दर के स्थान पर १० पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर उद्गृहीत किया जाए. अतएव मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८१ (क्रमांक १ सन् १९८२) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० दिसम्बर, २००५.

कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.